न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 100/2018

रामप्रसाद पुत्र श्री किशनलाल जाति मीणा निवासी कुशिया तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादी

♠ बनाम ♠

01. श्रीमति प्रकाशी बाई पुत्री श्री किशनलाल पत्नि श्री धनराज जाति मीणा निवासी कुशिया तहसील मांगरोल हाल निवासी भगवानपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
02. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

...प्रतिवादीगण

वाद वास्ते दुरूस्ती इन्द्राज व हटाये जाने नाम खातेदारी प्रकाशी बाई अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 90, 92 राज0 टी0 एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील प्रतिवादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांकः 14.08.2018

निर्णय दिनांक : 06.12.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 आपस में सगे भाई है। वादी के पिता का स्वर्ग वास होने पश्चात फौती इन्तकाल दर्ज किया गया तत्पश्चात कंचन बाई की भी मृत्यु हो जाने खाता संख्या 97 कुशिया तहसील मांगरोल में खसरा नं0 28 रकबा 4.58 है0 खसरा नं0 44 रकबा 2.84 है0, खसरा नं0 287 रकबा 1.55 है0, खसरानं0 288 रकबा 0.19 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 8.16 है0 आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खातेदारी में दर्ज हो रही है। फौती इन्तकाल नम्बर 81 दिनांक 13.06.1981 दर्ज होने के पश्चात से आज तक कभी भी प्रतिवादी क्रम 1 ने आराजी को काश्त नही किया है वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 अपने पति धनराज के साथ सपरिवार अपने ससुराल में ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल में निवास कर रही है। वादी व प्रतिवादी क्रम 1 अनुसूचित जनजाति(मीणा समुदाय) के है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व हिन्दू विधि अनूसूचित जनजाति मीणा जाति पर प्रभावी नही है जैसा की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर व राजस्व मण्डल अजमेंर ने अपने द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तो से स्पष्ट किया है, आर0आर0डी0 2006 पेज नं0 464 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने स्पष्ट कर रखा है कि पिता की संपत्ति अथवा आराजी में महिला हिस्सा प्राप्त

हो सकती अगत उस पिता के कोई पुरूष सदस्य वारिस है, वादी अपने पिता किशनलाल का इकलौता वारिस होने से उपरोक्त कानून की रोशनी में प्रतिवादी कम 1 को कोई हिस्सा आराजी प्राप्त नही होगी। उक्त कानून से परे जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल ने प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में इन्तकान नंबर 81 दिनांक 13.06.1981 को तस्दीक कर दिया है और प्रतिवादी कम 1 को सहखातेदार बना दिया है जिसका नाम राजस्व रेकार्ड खातेदारी में से हटाया जाना न्यायसंगत होगा। अतः निवेदन है कि खाता संख्या 97 कुश्या तहसील मांगरोल में खसरा नं0 28 रकबा 4.58 है0 खसरा नं0 44 रकबा 2.84 है0, खसरा नं0 287 रकबा 1.55 है0, खसरानं0 288 रकबा 0.19 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 8.16 है0 आराजी में से प्रतिवादी कम 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादी को आराजी का तनहा खातेदार घोषित यिका जाकर खाता दुरूस्त करने की आज्ञा प्रदान करें।

इस आशय का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादी कम 1 की ओर से दिनांक 10.09.2018 को वकील श्री कर्मवीर शर्मा ने वकालतनामा पेश करके जवाब दावा वास्ते समय चाहा लेकिन दिनांक 30.11.2018 को जवाब दावा पेश न करने पर और न्यायालय में कोई उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी कम 1 प्रकाशी बाई के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू 1 स्वयं, रामप्रसाद व पी डब्ल्यू 2 बजरंगलाल के बयान करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 नोटिस 80 सी0पी0सी0, प्रदर्श 2 जमाबंदी ग्राम कुश्या तह0 मांगरोल व प्रदर्श 3– इंतकाल नं0 81 ग्राम कुश्या प्रदर्श करायें है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया, वकील वादी ने उन्ही तथ्यो को अपनी बहस में दोहराया है जो उन्होने वाद पत्र में अंकित किऐ है वकील वादी ने न्यायिक दृष्टांतो आर0आर0डी0 2006 पेज 464 पेश करके कहा कि इस इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने मृतक खातेदार के कोई पुरूष सदस्य जिवित हो तो उस स्थिति में महिला वारिस को कोई विरासत में अधिकार नही मिलेगा, यह नजीर सिर्फ अनूसूचित जाति के सदस्यो (मीणा) पर प्रभावी है वादी व प्रतिवादनी कम 1 मीणा जाति से है तथा पूर्व खातेदार किशनलाल की मृत्यु होने पर इं0 नं0 81 से विरासत के अनुसार वादी व प्रतिवादनी कम 1 के नाम इंतकाल दर्ज हुआ था जो प्रदर्श 3 है तथा प्रदर्श 2 हाज जमाबंदी ग्राम कुश्या है, जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादनी कम 1 का नाम बतौर खातेदार नाम दर्ज हो रहा है। आगे अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादनी कम 1 अपने पति के साथ अपने ससुराल ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल में निवास कर रही है, उसका आराजी पर कब्जा नही है, और न ही वह काश्त करती है, तथा न्यायिक

की रोशनी में प्रतिवादी कम 1 का नाम जमाबंदी में से हटाये जाने की प्रार्थना की व इं0 नं0 81 दी के विरूद्ध शून्य समझा जावें।

न्यायालय वादी की बहस व तर्को से सहमत होकर न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 2006 पेज 464 की रोशनी में वाद स्वीकार करना न्यायोचित समझता है।

अतः वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि खाता संख्या 97 ग्राम कुश्या तहसील मांगरोल में खसरा नं0 28 रकबा 4.58 है0 खसरा नं0 44 रकबा 2.84 है0, खसरा नं0 287 रकबा 1.55 है0, खसरानं0 288 रकबा 0.19 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 8.16 है0 में से प्रतिवादनी कम 1 प्रकाशी पुत्री किशनलाल जाति मीणा का नाम बतौर खातेदार विलोपित किया जाकर वादी रामप्रसाद पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी कुश्या तह0 मांगरोल को तन्हा खातेदार घोषित किया जाता है निर्णयनुसार डिक्री बनाई जावें, पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गय